बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,

सरकार के प्रधान सचिव।

अत्यावश्यक (सेवा का अधिकार अधिनियम)

सेवा में,

आरक्षी महानिदेशक

प्रधान सचिव / सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं वाणिज्य–कर विभाग

पटना, दिनांक:

विषयः सेवा के अधिकार अधिनियम के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में चेक लिस्ट के अनुरूप व्यवस्थाकी समीक्षा करने के संबंध में।

महाशय,

जैसा कि विदित होगा कि दिनांक 15.08.2011 के प्रभाव से राज्य में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत आपके विभाग की कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल किया गया है।

2. इस अधिनियम के अनुरूप कार्रवाई उचित ढंग से हो सके, इसके लिए आपके विभाग के अधीन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में (जहाँ सेवाओं के लिए आवेदन दिया जाता है) उचित व्यवस्था की जानी होगी। इसकी समीक्षा के लिए एक चेक लिस्ट निम्न प्रकार से हो सकती है:–

(i) काउंटर के लिए जगह;

(ii) काउंटर पर समुचित फर्निचर की व्यवस्था;

(iii) काउंटर के बाहर साईनबोर्ड;

(iv) उक्त काउंटर के लिए प्रतिनियुक्त कर्मी की व्यवस्था;

(v) स्टेशनरी एवं पंजियों की व्यवस्था जिसके माध्यम से प्राप्त आवेदनों को Designated Officer तक पहुँचाया जाएगा;

(vi) डेस्कटॉप कंप्यूटर – प्रिंटर / यू0पी0एस0 के साथ

(vii) क्षेत्रीय कर्मियों का प्रशिक्षण

3. इस परिप्रेक्ष्य में अनुरोध होगा कि इसकी समीक्षा कर ली जाए एवं आवश्यकतानुसार अपने विभाग के नोडल पदाधिकारियों को क्षेत्रीय इकाइयों के भ्रमण कर उपरोक्त अनुसार व्यवस्था करने हेतु प्रतिनियुक्त करने की की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–

(दीपक कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

3/एम0-40/2011-1923

ज्ञापांक : पटना, दिनांक 16.6.11

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कृपया उपरोक्त चेक लिस्ट के अनुसार क्षेत्रीय इकाइयों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

सरकार के प्रधान सचिव